संख्या-67/2015/1615/35-3-2015-1(41)/2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
खीरी।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर , 2015

विषय: वर्ष 2015-16 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण की परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह की कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद- खीरी की निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु रू. 111.71 लाख (रू.एक करोड़ ग्यारह लाख इकहत्तर हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये रू. 111.71 लाख (रू. एक करोड़ ग्यारह लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू. मे)

विकास खण्ड का नाम	क्र.स.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	अवमुक्त की जा रही धनराशि
कार्यदायी संस्था-यू.पी.पी.सी.एल				
रमियाबेहड़	1.	प्राथमिक विद्यालय प्रेम नगर,गजियापुर एवं ढकेरवा में बालिका शौचालय निर्माण(सोलर स्ट्रीट लाईट सहित)एवं चहारदीवारी व गेट	22.71	22.71
पलिया	2.	प्राथमिक विद्यालय सुमेर नगर,देवराही, महंगपुर में छात्राओं के लिए शौचालय बनाने का कार्य।	4.17	4.17
पलिया	3.	महंगापुर,गौरीफन्टा बस स्टैण्ड पर सार्वजनिक शौचालय बनाने हेतु		
पलिया	4.	प्राथमिक विद्यालय बन्दरभरारी मे बालिका शौचालय निर्माण (सोलर स्ट्रीट लाईट सहित)	15.79	15.79

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पलिया	5.	प्राथमिक विद्यालय बनकटी मे बालिका शौचालय निर्माण(सोलर स्ट्रीट लाईट सहित) एवं चहारदीवारी		
निघासन	6.	प्राथमिक विद्यालय फरेंन्दा फार्म मे बालिका शौचालय निर्माण (सोलर स्ट्रीट लाईट सहित)		
निघासन	7.	प्राथमिक विद्यालय मीरा मे बालिका शौचालय निर्माण(सोलर स्ट्रीट लाईट सहित)		
निघासन	8.	प्राथमिक विद्यालय बरबटा मे बालिका शौचालय निर्माण(सोलर स्ट्रीट लाईट सहित)		
निघासन	9.	प्राथमिक विद्यालय बथुआ मे बालिका शौचालय निर्माण (सोलर स्ट्रीट लाईट सहित)		
निघासन	10.	प्राथमिक विद्यालय छेदिया पश्चिम मे बालिका शौचालय निर्माण(सोलर स्ट्रीट लाईट सहित)एवं चहारदीवारी	47.94	47.94
निघासन	11.	प्राथमिक विद्यालय शीतलापुर मे बालिका शौचालय निर्माण (सोलर स्ट्रीट लाईट सहित) एवं चहारदीवारी व गेट		
निघासन	12.	प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर मे बालिका शौचालय निर्माण (सोलर स्ट्रीट लाईट सहित) एवं चहारदीवारी व गेट		
निघासन	13.	प्राथमिक विद्यालय रहीमपुर मे बालिका शौचालय निर्माण (सोलर स्ट्रीट लाईट सहित) एवं चहारदीवारी व गेट		
निघासन	14.	प्राथमिक विद्यालय ऐठ मे बालिका शौचालय निर्माण(सोलर स्ट्रीट लाईट सहित)एवं चहारदीवारी		
निघासन	15.	चन्दनचौकी मे पब्लिक शौचालय निर्माण (महिलाओं के लिए) सोलर स्ट्रीट लाईट सहित)	21.10	21.10
निघासन	16.	सुडा मे पब्लिक शौचालय निर्माण(महिलाओं के लिए) सोलर स्ट्रीट लाईट सहित)		
निघासन	17.	सिंगाही खुर्द मे पब्लिक शौचालय निर्माण(महिलाओं के लिए)सोलर स्ट्रीट लाईट सहित)		
योग			**111.71**	**111.71**

1- अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। परियोजना/योजना पर किये जाने वाला व्यय स्वीकृत तक ही सीमित रखा जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने के लिये अधिकृत कार्यदायी संस्था को शीध्र कार्य- आदेश निर्गत किया जायेगा, जिसके साथ अनुमोदित आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) की एक प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि **उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य-योजना में सम्मिलित है ।**

4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरान्त विस्तृत आगणन तैयार करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते है, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा।

5- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री /उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

6- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्व ढंग से पूरा किया जायेगी । इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

7- कार्य-स्थल पर इसे बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिलापट्ट/ बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेगें।

8- **द्विरावृत्ति से बचने के लिये कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी कराई जायगी**

9- उक्त परियोजनाओं से सृजित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से एवं आवश्यकतानुसार बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध धनराशि से कायर्दायी संस्थाओं के सहयोग से किया जायेगा । साथ ही परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा सृजित परिसंपत्तियों का सम्बन्धित को **हस्तान्तरण का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा ।**

10- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम् 31 मार्च, 2016 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियाजन विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार,उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा। तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह में अर्थात दिनांक 30 जून, 2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुये व्यय का महालेखाकार द्धारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

11- भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार, जारी की जा रही धनराशि 15 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्ति किया जायेगा।

12- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

13- कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपतियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्श सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 आयोजनागत-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम - 800- अन्य व्यय -13- शौचालय निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था - 24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2015बी-1-925/ दस-2015-231 /2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-67/2015/1615(1)/ 35-3-2015-1(41)/2015 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, पचांयती राज/ बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, खीरी ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, खीरी ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13 - गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in